बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 124/2013
दायर दिनांक :– 10.05.2013

अनवान

मीरा पुत्री देवी बलाई नि. खोहराखुर्द हाल पत्नि रामगोपाल नि. बासनी

वादीया.....

बनाम

1. किशना पिता देवी बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
2. हीरा पिता रामनाथ बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
3. छीतर पिता नाना बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
4. छोटु पिता भुरा बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
5. रामनिवास पिता माधु खटीक नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
6. पाचीया पिता श्रवण बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
7. छीतर पिता नानिया बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
8. रूगनाथ पिता गंगा बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
9. नाराण पिता गंगा बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
10. मोहन पिता काना बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
11. नरसी पिता नेता बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
12. पप्पू पिता नेता बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
13. जमना बेवा नेता बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
14. शांति देवी पत्नि मोहन बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
15. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री विकास पत्रिया, वकील वादी
2. श्री ओमप्रकाश मुन्दडा, वकील प्रतिवादी सं. 14

:: निर्णय :: दिनांक 15.10.2019

वादीया का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम खोहरा खुर्द प0 ह0 बिलेठा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 133 रकबा 01.02 बीघा स्थित है। वर्तमान में उक्त कृषि आराजी प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हैं। जिसमे प्रतिवादी 1 का 1/3 हक हिस्सा निहित है। परन्तु मौके पर प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादीया भी अपने हक हिस्से की 1/6 आराजी पर काबिज हो काश्त करती चली आ रही है। ग्राम खोहरा खुर्द प0 ह0 बिलेठा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 84 रकबा 01.09 बीघा, आ.न. 87 रकबा 02.14 बीघा, आ.न. 138 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 3 रकबा 05.01 बीघा भूमि वर्तमान में उक्त कृषि

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

हो काश्त करती चली आ रही हैं। ग्राम खोहरा खुर्द प0 ह0 बिलेठा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 134 रकबा 07.06 बीघा वर्तमान में उक्त कृषि आराजी प्रतिवादी सं. 1 से 2 व 4 एवं 6 से 13 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हैं। जिसमे प्रतिवादी एक का 1/9 हक हिस्सा निहीत हैं परन्तु मौके पर प्रतिवादी 1 के साथ वादीया भी अपने हक हिस्से की 1/18 आराजी पर काबिज हो काश्त करती चली आ रही है। चरण सं. 1 से 3 में वर्णित आराजी सम्वत 2044 से 2047 एवं उसके पुर्व मे उक्त आराजी मुझ वादीया एव प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. देबी पिता भूरा के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो उक्त आराजी पुश्तेनी आराजी थीं प्रतिवादी सं. 1 व वादीया स्व. देबी जी की विधिक सन्तान हो आपस में सगे भाई बहन हैं उक्त आराजी स्वं देबी की मृत्यु उपरान्त वादीया के महिला एव अनपढ होने का नाजायाज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर स्व. देबी पिता भूरा की आराजी अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवा ली जबकि उक्त वर्णित आराजी में वादीया भी स्व. देबी की पुत्री हो उनकी विधिक उत्तराधिकारी होने से पुश्तैनी आराजी मे प्रतिवादी सं. 1 के साथ बराबर की हिस्सेदार हैं। राजस्व अधिकारियो ने बिना किसी प्रकार की स्वतन्त्र जॉच किये बिना प्रतिवादी एक से मिली भगत कर राजस्व रेकार्ड में अपने स्वंय के नाम इन्द्राज करवा लिया है। जबकि प्रतिवादी एक को यह जानकारी है कि वादीया भी स्व. देबी पिता भूरा की पुत्री हो उनकी पुश्तैनी आराजी में विधिक उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 के साथ बराबर की हिस्सेदार है। स्व. देबी की मृत्यु उपरान्त वादिया विधिक उत्तराकिारी होने से प्रतिवादी एक के साथ अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीया अपने हिस्से की लगान आदि का भुगतान प्रतिवादी एक को समय समय पर अदा कर देती हैं जिससे प्रतिवादी एक राजस्व अधिकारियो को जमा करवा देता हैं स्व. देबी की मृत्यु उपरान्त मुझ वादीया को अपने अपने हक हिस्से की आराजी जो बंटवाडे में मेरे हिस्से में आई जो आराजी प्रतिवादी एक को सिजारे पर काश्त करने को दे दी। प्रतिवादी एक मेरे हक हिस्से को लगातार काश्त करता चला आ रहा है। और मुझ वादीया को मेरे हिस्से की आराजी में से उत्पन्न काश्त का भुगतान फसल के रूप मे प्रतिवादी एक निर्विध्न रूप से करता चला आ रहा है। मै वादीया महिला हो अपने ससुराल मे रहती चली आ रही हुॅ। करीब एक माह पूर्व मुझ वादिया को आवश्यक कार्य होने की वजह से उक्त वर्णित आराजी का राजस्व रेकार्ड निकलवाया तो पता चला की मुझ वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नही हैं। इसलिये उक्त भूमि में स्व. देबी के हिस्से मे दर्ज आराजी उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी एक के नाम विरासत से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गई मे प्रतिवादी एक के साथ मुझ वादिया जो स्व. देबी की पुत्री होने से पुश्तैनी आराजी में विधिक उत्तराधिकारी हैं का नाम राजस्व रेकार्ड में विरासत से प्रतिवादी एक के साथ सहखातेदार के रूप में अंकन करा खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाने की मांग की।

वादीया का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 14 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा. दी. पेश किया गया। जिसकी नकल वकील वादीया को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा. दी. का जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्षो की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा. दी. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 14 को पक्षकार बनाया गया।

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

वकील वादीया ने वादपत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 एवं 2037 से 2040 की नकल, ईन्तकाल की नकल पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादीया द्वारा स्वंय वादीया मीरा पी. डब्ल्यु 1, रामगोपाल पी. डब्ल्यु 2, के शपथ पत्र पर ब्यान प्रस्तुत किये गये। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने बहस के दौरान बताया की उक्त विवादित भुमि पुश्तैनी है। जिसमें वादीया भी विधिक उत्तराधिकारी है। जिससे वादीया 1/2 हक हिस्से की हकदार है। प्रतिवादी किशना द्वारा भूमि का बेचान कर दिया गया। जबकि प्रतिवादी किशना अपने हिस्से मात्र की भुमि का ही बेचाना कर सकता है। इसलिये उक्त विवादित भुमि का 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराना फरमावे। वकील प्रतिवादी सं. 14 ने बहस के दौरान बताया की मेरे द्वारा उक्त भुमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। जिसका मेने भुमि का पुरा मुल्य चुकाया गया है। इसलिये वादपत्र खारिज फरमाया जावे। मैने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त विवादित भूमि पुश्तैनी भुमि होकर स्व. देबी के नाम थी। जिसकी ताईद प्रदर्श 6 से होती है। उक्त भुमि का विरासत का नामान्तरकण खोला जाकर उक्त विवादित भुमि किसना के नाम राजस्व रेकार्ड में आई। जिसकी ताईद प्रदर्श 5 से होती है। जबकि वादिया भी स्वं. देबी की पुत्री होकर उक्त भुमि की विधिक उत्तराधिकारी है। वादिया उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 किशना के साथ 1/2 हक हिस्से तक खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादीया के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीया का वाद पत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है की ग्राम खोहरा खुर्द प0 ह0 बिलेठा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 133 रकबा 01.02 बीघा तथा आराजी स0 84 रकबा 01.09 बीघा, आ.न. 87 रकबा 02. 14 बीघा, आ.न. 138 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 3 रकबा 05.01 बीघा तथा आराजी स0 134 रकबा 07.06 बीघा में वादीया को प्रतिवादी सं. 01 किशना के साथ 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं. 01 किशना का 1/2 हिस्सा को संशोधित बेचान किया जाकर प्रतिवादी सं. 14 शांति देवी के नाम कराया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अनवान

मीरा पुत्री देवी बलाई नि. खोहराखुर्द हाल पत्नि रामगोपाल नि. बासनी

वादीया.....

बनाम

1. किशना पिता देवी बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
2. हीरा पिता रामनाथ बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
3. छीतर पिता नाना बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
4. छोटु पिता भुरा बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
5. रामनिवास पिता माधु खटीक नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
6. पाचीया पिता श्रवण बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
7. छीतर पिता नानिया बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
8. रूगनाथ पिता गंगा बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
9. नाराण पिता गंगा बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
10. मोहन पिता काना बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
11. नरसी पिता नेता बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
12. पप्पू पिता नेता बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
13. जमना बेवा नेता बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
14. शांति देवी पत्नि मोहन बलाई नि. खोहराखुर्द तह. जहाजपुर
15. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत – 88, 89, 91ए, 188 आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :– 124/2013

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री विकास पत्रिया का मिनजानिब मुदई व श्री ओम प्रकाश मुन्दडा का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीया का वाद पत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है की ग्राम खोहरा खुर्द प0 ह0 बिलेठा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 133 रकबा 01.02 बीघा तथा आराजी स0 84 रकबा 01.09 बीघा, आ.न. 87 रकबा 02.14 बीघा, आ.न. 138 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 3 रकबा 05.01 बीघा तथा आराजी स0 134 रकबा 07.06 बीघा में वादीया को प्रतिवादी सं. 01 किशना के साथ 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं. 01 किशना का 1/2 हिस्सा को संशोधित बेचान किया जाकर प्रतिवादी सं. 14 शांति देवी के नाम कराया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.10.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)

सहायक कलक्टर

जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.10.31 15:56:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: